सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 24.04.2025

छिनैती/हत्या का प्रयास करने वाले 01 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 जोड़ी सोने के झाले (छीने हुये), 01 अपाचे मोटर साइकिल (घटना कारित करने में प्रयुक्त) की गयी बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सैफई के कुशल नेतृत्व में **थाना सैफई पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं छिनैती की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 23/24.04.2025 की रात्रि को थाना सैफई पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत उसरई पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान 01 मोटर साइकिल हवाई पट्टी की ओर से आती दिखायी दी जिसे पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा किया गया तो मोटर साइकिल सवार व्यक्ति द्वारा सैफई की ओर बम्बे की पटरी पर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल का पीछा किया गया तो मोटर साइकिल सवार व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर किया गया जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी तो **01 गोली देवेन्द्र उर्फ शीलू के दाहिने पैर** में लगी जिसे घायल अवस्था में **उसरई पुलिया के पास से समय 02.56 बजे रात्रि में मोटर साइकिल** सहित गिरफ्तार किया गया।

नोटः- **पुलिस मुठभेड़ के दौरान 01 अभियुक्त अँधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है।**

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये उसकी तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर, 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस, 01 जोड़ी सोने के झाले बरामद किये गये जिसके संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा निम्न घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया गयाः-

1. दिनांक 21.03.2025 को नगला बृज के सामने नहर पर 01 मोटर साइकिल सवार महिला से पर्श छीन लिया था उसी पर्श से यह सोने के झाले मिले थे। जिसके संबंध में थाना सैफई पर **मु0अ0सं0 58/2025 धारा 304(2)/352 बीएनएस** पंजीकृत है।
2. दिनांक 16.03.2025 को मैने अपने साथियों के साथ मिलकर ग्राम नगला शिशिया निवासी नरेन्द्र के घर के बाहर पुरानी रंजिश को लेकर उसकी माँ के ऊपर फायर किया था एवं गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये वहां से भाग गये थे। जिसके सम्बन्ध में **थाना सैफई पर मु0अ0सं0 64/2025 धारा 352/351(3)/109(1) बीएनएस** पंजीकृत है।
3. दिनांक 10.04.2025 को मैने अपने साथियों के साथ मिलकर मूर्तिदेवी स्कूल के पीछे अंकुश के ऊपर इसी पिस्टल से जान से मारने की नियत से फायर किया था। जिसके संबंध में **थाना सैफई पर मु0अ0सं0 71/2025 धारा 109(1) बीएनएस** पंजीकृत है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सैफई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 64/25 व मु0अ0सं0 71/25 में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट तथा मु0अ0सं0 58/2025 में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी एवं थाना सैफई पर पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 75/2025 धारा 109(1)(पुलिस मुठभेड़) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

नोटः- **उक्त अभियोगों से सम्बन्धित अभियुक्त अंकित यादव पुत्र संजीव यादव को दिनांक 19.04.2025 को गिरफ्तार किया जा चुका है।**

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. देवेन्द्र उर्फ शीलू पुत्र जयचन्द्र निवासी ग्राम उत्तमपुर थाना सैफई जनपद इटावा **उम्र 22 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 58/2025 धारा 304(2)/352/317(2) बीएनएस थाना सैफई जनपद इटावा
2. मु0अ0सं0 64/2025 धारा 352/351(3)/109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सैफई जनपद इटावा
3. मु0अ0सं0 71/2025 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सैफई जनपद इटावा
4. मु0अ0सं0 75/2025 धारा 109(1) (पुलिस मुठभेड) BNS व धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना सैफई इटावा

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ शीलू

1. मु0अ0स0 269/23 धारा 323/506 भादवि थाना सैफई इटावा
2. मु0अ0स0 286/23 धारा 354 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना सैफई इटावा
3. मु0अ0स0 253/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फ्रेण्डस कालोनी इटावा
4. मु0अ0सं0 58/25 धारा 304(2)/352/317(2) बीएनएस थाना सैफई इटावा
5. मु0अ0सं0 64/25 धारा 352/351(3) /109(1) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सैफई इटावा
6. मु0अ0सं0 71/25 धारा 109(1) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सैफई इटावा
7. मु0अ0सं0 75/2025 धारा 109(1) (पुलिस मुठभेड) BNS व धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना सैफई इटावा

बरामदगीः-

1. 01 तमन्चा 315 बोर
2. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 01 जोड़ी सोने के झाले **(सम्बन्धित मु0अ0सं0 58/2025)**
4. 01 मोटर साइकिल अपाचे **(बिना नम्बर प्लेट)**

पुलिस टीमः- निरी0 श्री राकेश कुमार शर्मा प्रभारी थाना सैफई, उ0नि0 शकील अहमद, हे0का0 कुलदीप कुमार, का0 सन्दीप सिंह, का0 गौरव कुमार, का0 महेश कुमार, का0 हिमाँशू कुमार, का0 मानवेन्द्र सिंह, का0 अनुराग कुमार, का0 हिमाँशू।

नोट- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त सराहरनीय कार्य करने वाली टीम के उत्साहवर्धन हेतु 10,000 रु-/ की राशि से पुरस्कृत किया गया।